रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0एम0 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 17 मई, 1990/27 बैशाख, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 मई, 1990

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(3) 5/76-VI.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 75 की उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पदावधि अढ़ाई वर्ष विहित की गई है;

और उक्त अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अधीन पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का दूसरा चुनाव, उक्त अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अधिसूचित तारीख से अढ़ाई वर्ष की अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर गुप्त मतदान द्वारा किया जाना था;

और ग्राम पंचायतों का सामान्य चुनाव अक्तूबर, 1985 में किया गया था और ग्राम पंचायतों की अवधि अक्तूबर, 1990 में समाप्त हो रही है ;

और यदि पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव मार्च/अप्रैल, 1990 में करवा दिए जाते, तो उक्त अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (1) के तृतीय परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार नव-निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अक्तूबर, 1990 तक ही अपने पद पर बने रहते;

और उक्त अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वर्तमानता अपना-अपना पद धारण किए हुए हैं क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव नहीं हुआ है और न ही अधिसूचित किया गया है;

और अढ़ाई वर्ष को समाप्ति के पश्चात् पंचायत समितियों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों का चुनाव न करवाया जाना लोक हित में समीचीन है;

और राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि पंचायत समितियों के वर्तमान अध्यक्षों/उपाध्यक्षों की पदावधि लोकहित में बढ़ाई जाए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का 7) की धारा 3 के खण्ड (ए) द्वारा यथा अन्तःस्थापित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 75 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंचायत समिति प्रागपुर (जिला कांगड़ा), जुब्बल-कोटखाई (जिला शिमला) और लाहौल (जिला लाहौल और स्पिति) के सिवाय, हिमाचल प्रदेश की अन्य सभी पंचायत समितियों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों की अढ़ाई वर्ष की पदावधि को, उनकी पदावधि के अवसान की तारीख से एक वर्ष के लिए और बढ़ाते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त (विकास) एवं
सचिव, (पंचायती राज)।

[*Authoritative English text of this Government notification No. PCH-HA* (3) *5/76-VI, dated* 17*th May,* 1990 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of Constitution of India.*]

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 17*th May*, 1990

No. PCH-HA(3)5/76-VI.—Whereas the term of the office of the Chairmen and Vice Chairmen of the Panchayat Samitis in Himachal Pradesh is prescribed two and a half years under sub-section (1) of section 75 of the Himechal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970);

And whereas under the provisions of sub-section (3) of section 74 of the Act *ibid* second election of the Chairmen and Vice Chairmen of Panchayat Samitis was to be held by secret ballot within a period of one month of the expiry of the period of two and a half years of the date on which the election was notified under sub-section (1) of section 68 of the said Act ;

And whereas general election of the Gram Panchayats was held in the month of October, 1985 and the tenure of the Gram Panchayats is going to expire in October, 1990;

And whereas if the elections of the Chairmen and Vice Chairmen of Panchayat Samitis were got conducted in the month of March/April, 1990, the newly elected Chairmen/ Vice Chairmen would have continued to function till October, 1990, in view of the provisions of third proviso of sub-section (1) of section 75 of the Act *ibid*;

And whereas in pursuance of the second proviso of sub-section (1) of section 75 of the Act *ibid*, Chairmen/Vice Chairmen are continuing to hold their office as the election of their successors has not been held/notified so far;

And whereas it appears expedient in the public interest not to hold the election of the Chairmen/Vice Chairmen of the Panchayat Samitis after the expiry of two and a half years;

And whereas it appears to the State Government that the tenure of the present Chairmen/Vice Chairmen of the Panchayat Samitis be extended in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him by the first proviso of sub-section (1) of section 75 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970) as inserted by clause (*a*) of section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1990 (Act No. 7 of 1990), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the tenure of two and a half years of the present Chairmen and Vice Chairmen of all the Panchayat Samitis in Himachal Pradesh except Panchayat Samitis Pragpur (District Kangra), Jubbal-Kotkhai (Shimla district) and Lahaul (Lahaul & Spiti District) by one year from the date of expiry of their tenure.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner (Dev.)-cum-
Secretary (Panchayats).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।